न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, जिला कोटा, राजस्थानः–0744–2325871

GCMS ID- 2003/00064
मिसल नम्बर–437/2006
1.पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग जर्ये अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड कोटा

प्रार्थीया।

बनाम

1.श्री जितेन्द्र भण्डारी पुत्र श्री गौतम चन्द भण्डारी मार्फत महावीर मिशन कोटा बूंदी रोड, कुन्हाडी कोटा

2.सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थी।

प्रार्थना–पत्र
(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत्)

–:निर्णयः–

दिनाकः 31/12/25

उपस्थितिः–

1.श्री रामस्वरूप शर्मा अधिवक्ता प्राथी।
2.श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी।
3.सरकार पैरोकार।

प्रार्थी पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के खाते में बूंदी नेशनल हाईवे नम्बर 12 से लगी ग्राम कुन्हाडी तहसील लाडपुरा में अन्य भूमियों के साथ खसरा नम्बर 249 खन्ती रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर सडक 250 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा गै0मु0 सडक दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी संवत् 2016 से 2024 एवं 43 प्रस्तुत किये है। प्रार्थी का निवेदन है कि प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 द्वारा सेटलमेंट के दौरान उक्त खसरा नम्बर 249 व 250 की कुछ भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। प्रतिवादीगण द्वारा सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर 250 में से 0.09 है0 गै0मु0 आबादी एवं खसरा नम्बर 249 में से 0.04 है0 नहरी प्रथम के रूप में दर्ज रिकॉर्ड करवा ली। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि खसरा नम्बर 249 रकबा 0.04 है0 एवं खसरा नम्बर 250 रकबा 0.09 है0 भूमि वाके ग्राम कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के खाते दर्ज करने के आदेश फरमावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दिनांक 06.12.2004 को वकील अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि प्रकरण की रिपोर्ट तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त की जावें। उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही जवाब प्रस्तुत किया जायेगा। दिनांक 08.08.2005 को श्री हीरालाल भंसाली द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी सीपीसी 151 प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने हेतु पेश किया गया। दिनांक 05.12.2011 को श्री हीरालाल भंसाली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में अनुपस्थित होने से अदम हाजरी हदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। पत्रावली में 17.01.2019 को उभय पक्ष की बहस सुनी गई। तत्पश्चात् दिनांक ..... को पुनः बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सेटलमेंट से पूर्व प्रतिवादी नम्बर 01 के खातें में खसरा नम्बर 47 की रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम कुन्हाडी में स्थित थी, जिसमें 06 बिस्वा भूमि नहर में चली गई तथा खसरा नम्बर 47/352 व 47/353 की 6 बिस्वा भूमि की किस्म बदलकर पूर्ववत् खातेदार के नाम दर्ज कर दी गई। प्रतिवादी नम्बर 01 की कुछ भूमि गजेन्द्र सिंह की भूमि में मिला दी गई, प्रतिवादी नम्बर 01 ने 07 बिस्वा भूमि खरीद की जो प्रतिवादी के खाते में सम्मिलित कर दी गई। प्रतिवादी के विरूद्व मोहनलाल ने 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि बाबत् दावा किया था जिसका निर्णय व डिक्री मोहनलाल के पक्ष में किया जा चुका है। प्रतिवादी के विरूद्व श्री हीरालाल भंसाली द्वारा आधारहीन एवं व्यर्थ कार्यवाही की गई। जिसके आधार पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व रेफरेंस की कार्यवाही प्रस्तुत की गई। उक्त रेफरेंस का उभय पक्षों को सुनकर तत्कालीन जिला कलक्टर कोटा द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों पर पूर्ण विचार कर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस दिनांक 17.06.2002 को निरस्त फरमाया जा चुका है। वर्ष 2010 में प्रतिवादी के विरूद्व तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रेफरेंस पुनः प्रस्तुत किया गया। दिनांक 08.11.2019 को श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा द्वारा उक्त रेफरेंस प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रकरण के तथ्यों को कन्सीडर करते हुए खारिज कर दिया गया। न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क0ख0) नम्बर 5 कोटा उत्तर में प्रतिवादी नम्बर 01 ने अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड कोटा एवं राज0 जर्ये जिलाधीश कोटा के विरूद्व खसरा नम्बर 250 रकबा 0.09 है0 गै0मु0 आबादी बाबत् दावा प्रस्तुत किया था, जिसे दिनांक 29.05.2003 को न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश नम्बर 05 कोटा उत्तर द्वारा डिक्री फरमाया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। दिनांक 31.05.2004 को अपर जिला न्यायाधीश नम्बर 05 उक्त अपील खारिज कर दी गई। इसके पश्चात् दिनांक 23.01.2010 को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश नम्बर 05 उत्तर कोटा द्वारा पुनः निर्णय पारित किया गया।

अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये जो निम्न प्रकार है :–

1. 2015 (1) RRT P. 10(S.C.)

2- 2017 (2) RRT 1264

3- 2024 (2) DNJ (Rev.) 975

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उक्त आधार पर विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि प्रार्थी पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा सिविल न्यायालय में यह स्वीकार किया गया था कि अप्रार्थी डॉ जितेन्द्र भण्डारी ने अपनी बाउण्ड्री खसरा नम्बर 250 की सीमा में ही बना रखी है। माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि वादी अतिक्रमी नही है बल्कि खसरा नम्बर 250 ग्राम कुन्हाडी का सहखातेदार के रूप में स्वत्वधारी है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि प्रार्थी पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रकबा कहा कम किया गया व कहा बढाया गया बाबत् कोई उल्लेख नही किया है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 2015 (1) आरआरटी 10 का उल्लेख कर निवेदन किया गया कि धारा 136 के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि ही दुर की जा सकती है। हकों का निर्धारण नही किया जा सकता।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस अभिभाषक अप्रार्थी पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

हमारे विनम्र मत में प्रार्थी पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जो यह प्रमाणित कर सके कि भू प्रंबध विभाग द्वारा अप्रार्थी के रकबे में कोई बढोतरी पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के खाते से की गई हो। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) RRT P. 10(S.C.), 2017 (2) RRT 1264 से स्पष्ट है कि धारा 136 भू राजस्व अधिनिमय के तहत पक्षकारों की सहमति के आधार पर ही कोई लिपिकीय त्रुटि सही की जा सकती है।

हस्तगत प्रकरण में न तो कोई लिपिकीय त्रुटि प्रमाणित है, और न ही पक्षकारों की सहमति है। उक्त विवेचना के आधार पर हम प्रार्थी पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः प्रार्थी पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल षुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा